म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978
CIN NO-UO1119mp1969GC00105

क्र./मुख्या./उद्यान/ जीवित केंचुए/2026–27/304 दिनांक 04/5/2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

....

प्रसारण क्रं. – 01

विषय– वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु **जीवित केंचुए** की प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम द्वारा वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिए **जीवित केंचुए** के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे। सामग्री के प्रदाय हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार निम्नलिखित प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित कर दरों के अनुमोदन जारी किए जाते हैं :–

Sr	NAME OF SUPPLIER	Variety
1	**M/s Implexify Global Pvt Ltd** Shop no 20, Shalimar Complex, SBI square, Sultania road, Bhopal- 462001 Email- impexify.global@gmail.com Mobile- 9009304303	Eisensia Fetida Eudrilus Eugeniae
2	**M/s Jai Shree Organic** Vill- Bagwada, Thesil- Amer, Distt Jaipur Mobile- 9001491910, 9587200033 Email- jaishreeorganicjaipur@gmail.com	Eisensia Fetida Eudrilus Eugeniae
3	**M/s Laxmi Organic** Sukram wali Dhani, Nh-8, Bypass, V&P Bagwara, Via Morija, Jaipur Mobile- 8058833530 Email- organics.laxmi@gmail.com	Eisensia Fetida Eudrilus Eugeniae
4	**M/s Sachdev Nursery** Near By Sachdev Choraha Jabalpur-Sagar Bypaas Road, Sager Naka Road, Pipariya Nayak, Damoh, M.P. 470661 Mobile- +91-9039370022 Email- sachdevnursery@gmail.com	Eudrilus Eugeniae

2. पत्र के साथ जीवित केंचुए की क्रय–विक्रय दरें संलग्न की जा रही हैं।

वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. **प्रदायगी की शर्तें :–**

क्रेता विभाग से प्राप्त मांग एवं अनुशंसा अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग/क्रय आदेश क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएगें।

प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में आदेशित मात्रा, पैकिंग एवं आरसीओ की शर्तो के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

........2..

3.1 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में केता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा।

3.2 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेन्ट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

3.3 क्रेता विभाग की आवश्यकता अनुसार वांछित मात्रा में प्रदायक को प्रदायगी की जाना होगा। आवश्यकता अनुसार पैकेट पर राज्य/केंद्र शासन के प्राधिकृत विभागों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप जानकारी अंकित की जाना है।

3.4 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।

3.5 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

कं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	**0.25%** प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	**0.50%** प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 01 से 05 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और बंधनकारी रहेगा।

4. सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर कयकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

5. गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते केता/उपयोकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के कम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित केता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन कर सकेगा।

6. बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेगें।

7. <u>कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :–</u>

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा।

............3..

9. **भुगतान :–**

मुख्यालय/जिला प्रबंधक द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार (प्राप्तकर्ता विभाग तथा निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त) संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 180 दिवस में किया जावेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय–सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तथा प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

10. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपकम को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

11. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से क्रय किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नही होगा।

12. निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें दर प्रसारण से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नीवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी। इस प्रसारण के उपरांत जीवित केंचुए की पूर्व में प्रसारित विक्रय दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

305
04-5-2026

उप प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. निज सचिव, मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, आयुक्त, रेशम संचालनालय, भू–तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
7. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मेसर्स..की ओर सूचनार्थ।
10. mpfsts.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए जीवित केंचुए के प्रदाय की अनुमोदित दर

क्र.	सामग्री का नाम	प्रजाति	यूनिट	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	**LIVE EARTHWORM**	EISENIA FOETIDA	Per KG	330.00
		EUDRILUS EUGENIAE	Per KG	330.00

निगम की जीवित केंचुए के लिए क्रय एवं विक्रय दरें

निगम की जीवित केंचुए की क्रय दर	–	रू. 314.29
निगम का 5 प्रतिशत मार्जिन	–	रू. 15.71
निगम की जीवित केंचुए की विक्रय दर	–	रू. 330.00

तकनीकी मापदंड

S.No.	Specification
1	**EISENIA FOETIDA - Minimum number of earthworms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms.**
2	**EUDRILUS EUGENIAE - Minimum number of earthworms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms.**

1. Supply System (packing) shall be done in appropriate packing along with vermi compost in proper moisture so that worms could reach f.o.r. destination in live and healthy condition.
2. Live Earthworm should be packed in such a manner so as to sustained outside temperature up to 46 degree centigrade.
3. The bidder has to supply requisite material f.o.r. basis that may be District Office/Block Office as per requirement.
4. The bidder will be fully responsible for the Quality (purity of worms species) and

   Quantity of the material supplied to the consignee.

उप प्रबंधक (उद्यान)

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान .... का आदेश कमांक ....

दिनांक ....

योजना का नाम...

घटक का नाम ....

वर्ष ....

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश कमांक ....दिनांक .... के कम में प्रदायक मेसर्स ....द्वारा चालान/देयक कं. .... दिनांक .... से निम्नानुसार जीवित केंचुए का प्रदाय किया गया है।

कं.	सामग्री का नाम	प्रजाति	प्रदायक का चालान कं. /दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1					
2					

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक .... को संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। उपरोक्तानुसार केंचुए सही हालत में प्राप्त हुआ है और निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, जिसे हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप /सहायक संचालक उद्यान	जिला प्रबंधक	प्रदायक के हस्ताक्षर
....	....	(सील मुद्रा सहित)
कार्यालय जिला	(सील मुद्रा सहित)	
(सील मुद्रा सहित)		

परिशिष्ट –2

कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान

कार्यालय का नाम ....

जिला ....

क्रमांक .... दिनांक ....

संतुष्टी रिपोर्ट

उप/सहायक संचालक .... का आदेश क्रमांक ....

योजना का नाम.......................................

घटक का नाम ....

वर्ष ....

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक क्रमांक .... दिनांक ....से (सामग्री का नाम).. कुल मात्रा....................................... राशि रु.. .... का प्रदाय किया गया है ।

उपरोक्तानुसार प्रदाय किये गये बीज निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है तथा **जीवित केंचुए** की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं।

उप/सहायक संचालक उद्यान

....

जिला ....

(सील मुद्रा सहित)